राजस्थान सरकार

शासन सचिव कार्यालय,अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

तृतीय मंजिल एस.एस.ओ. भवन शासन सचिवालय, जयपुर 3032005

क्रमांकः 12

दिनांकः 13/3/2023

अधिसूचनाः—

विषय :— विभाग में कार्यरत मदरसा पैराटीचर्स को Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के अन्तर्गत लाये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक सहमति के संबंध में निम्नाकिंत संविदा पदों को Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के अन्तर्गत लाये जाने का निर्णय लिया गया है :—

क्रम संख्या	पदनाम	संख्या
1.	मदरसा पैराटीचर्स	5656

उक्त पदों को Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के अन्तर्गत लिये जाने हेतु उर्दू शिक्षा सहयोगी (मदरसा पैराटीचर्स) जिनकी शैक्षणिक योग्यता बी.एड/डी.एल.एड/बी.एस.टी.सी. है इन पदों का नवीन पदनाम, मानदेय निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :—

क्रम संख्या	विद्यमान पदनाम	संशोधित पदनाम	नियमों के अन्तर्गत लिये जाने हेतु निर्धारित मानदेय
1.	मदरसा पैराटीचर्स	शिक्षा अनुदेशक	16900/—

यह समेकित पारिश्रमिक निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा :—

1. इन नियमों के अन्तर्गत आने से पूर्व यदि किसी कार्मिक को उपरोक्त निर्धारित किये जा रहे पारिश्रमिक से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त है तो ऐसे कार्मिकों को वर्तमान में प्राप्त पारिश्रमिक को संरक्षित किया जायेगा।
2. ऐजेन्सी के माध्यम से अथवा जोब बेसिस पर कार्यरत कार्मिकों को इन नियमों के अन्तर्गत नही लिया जायेगा।
3. Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के नियम 3 के प्रावधान के अनुसार कार्यरत कार्मिकों को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की शर्त पूरी करने पर ही इन नियमों के अन्तर्गत लाया जावेगा।
4. प्रशासनिक विभाग द्वारा विद्यमान कार्मिक, जो कि B.ED./B.S.T.C/D.L.ED योग्यताधारी हैं उनका संशोधित जॉब चार्ट निर्धारित किया जायेगा।
5. ऐसे विद्यमान कार्मिक जो कि B.ED./B.S.T.C/D.L.ED योग्यताधारी नही हैं उनका पूर्व में निर्धारित पदनाम एवं पारिश्रमिक यथावत रहेगा।
6. Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के अन्तर्गत उपरोक्त पदो के कार्मिकों को निम्नानुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर उच्चतर पारिश्रमिक एवं पदनाम दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

13/03/23

क्रम संख्या	पदनाम	संविदा सेवा अवधि	निर्धारित संविदा अवधि पूर्ण करने पर पदनाम	मासिक संशोधित पारिश्रमिक	विशेष विवरण
1.	शिक्षा अनुदेशक	09 वर्ष	शिक्षा अनुदेशक ग्रेड–II	29600 / –	09 वर्ष में प्राप्त मानदेय में दो वार्षिक वृद्धि जोड़कर निर्धारित
		18 वर्ष	शिक्षा अनुदेशक ग्रेड–I	51600 / –	18 वर्ष में प्राप्त मानदेय में दो वार्षिक वृद्धि जोड़कर निर्धारित

अतः उपरोक्तानुसार Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में समय–समय पर कार्मिक / वित्त विभाग द्वारा जारी यथा संशोधित दिशा–निर्देश / नियम प्रभावी होगें।

उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग की **आई.डी संख्या 162201706 दिनांक 02.03.2023** में प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

13/03/23

(कृष्ण कुणाल)
शासन सचिव
अल्पसंख्यक मामलात् एवं वक्फ विभाग
जयपुर

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :– 13–23 दिनांक 13-3-2023

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीया अल्पसंख्यक राज्य मंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
4. अध्यक्ष राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
5. संयुक्त सचिव, माननीया मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम / व्यय–2) विभाग, जयपुर।
9. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

13.03.2023

(जमील अहमद कुरैशी)
संयुक्त शासन सचिव
अल्पसंख्यक मामलात् एवं वक्फ विभाग
जयपुर